न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 107/2018

1. देवा राम पुत्र धन्ना राम जाति बावरी निवासी 10 बीएलडी तहसील विजयनगर जिला श्री गंगानगर।
2. गणपत राम पुत्र धन्ना राम जाति बावरी निवासी 10 बीएलडी तहसील विजयनगर जिला श्री गंगानगर।
3. हेत राम पुत्र धन्ना राम जाति बावरी निवासी 10 बीएलडी तहसील विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

--वादीगण--

बनाम

1. श्योपती पुत्री धन्नाराम पत्नि मनीराम जाति बावरी निवासी 29 ए एस बी (281 हैड) तहसील घडसाना ।
2. सुगना देवी पुत्री धन्नाराम पत्नि रामचन्द्र जाति बावरी निवासी 29 ए एस बी (281 हैड) तहसील घडसाना
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व एवं उपपंजीयक महोदय, श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता --वादीगण की ओर से--

श्री हरनेक सिंह, अधिवक्ता --प्रतिवादीगण की ओर से-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 12.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 63 एफ के खाता संख्या 17/20 के मु.न. 7 में 1.265 हैक्टर, मु.न. 33 में 1.240 हैक्टर, मु.न. 34 में 1.265 हैक्टर, मु.न. 35 में 2.354 हैक्टर, मु.न. 86/34 में 0.127 हैक्टर गैरमुमकिन खाल कुल क्षेत्रफल 6.124 हैक्टर भूमि में से 1.160 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता धन्ना राम पुत्र हेमा राम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के परिवार की पैतृक भूमि है, जो वादीगण के पिता को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि हमारे हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी भूमि है, जिसमें वादी का हक व हिस्सा जन्म से है राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प. 5(1) राज-6 /97/10 जयपुर दिनांक 08.09.1997 अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार हैं, इसलिए वादीगण उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवा पाने का अधिकारी है एंव दावा ला पाने का अधिकारी है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पिता के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण मुझ वादी को मेरे हिस्सा से महरूम करना चाहते है और मेरे हिस्से की भूमि को खूर्द बूर्द करना चाहते है। यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा किया तो मुझ वादी को ना पूरा होने वाला नूकसान होगा। वादीगण का भविष्य व जीवन बर्बाद हो जावेगा। यही वाद कारण है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। दावा पूरे न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है।

, अतः वादी द्वारा दावा पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- चक 63 एफ के खाता संख्या 17/20 के मु.न. 7 में 1.265 हैक्टर, मु.न. 33 में 1.240 हैक्टर, मु.न. 34 में 1.265 हैक्टर, मु.न. 35 में 2.354 हैक्टर, मु.न. 86/34 में 0.127 हैक्टर गैरमुमकिन खाल

कुल क्षेत्रफल 6.124 हैक्टर भूमि में से 1.160 हैक्टर भूमि में प्रत्येक वादीगण संख्या 1 ता 3 को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम खाता अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरनेक सिंह उपस्थित आए व जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिसमे अतिरिक्त कथन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का घरू पंचायत में आपस में राजीनामा करवा दिया गया है। राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त 1.160 हैक्टर भूमि में से अपना-अपना 1/5 हिस्सा अर्थात 0.232- 0.232 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 2 गणपत राम पुत्र धन्ना राम तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 हेतराम पुत्र धन्ना राम को छोड दिया है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीण को कोई एतराज नहीं है। वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर अंकित किया कि जवाब काउन्टर क्लेम पेश नही करना चाहता। जवाब काउन्टर क्लेम बंद किया गया। वादीगण देवाराम, गणपत राम, हेतराम व प्रतिवादीगण श्योपरी, सुगना देवी ने न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया दोनो पक्षो की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया दोनों पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया राजीनामा तस्दीक किया गया। शामिल पत्रावली किया गया।

राजीनामा में दोनो पक्षो के द्वारा अंकित किया गया है। कि दोनो पक्षो के पिता धन्ना राम पुत्र हेमा राम जाति बावरी के नाम चक 63 एफ खाता संख्या 17/20 में 1.160 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। द्वितीय पक्ष ने अपना-अपना 1/5 हिस्सा अर्थात 0.232-0.232 हैक्टर रकबा श्योपती ने अपना हिस्सा गणपत राम पुत्र धन्ना राम जाति बावरी निवासी 10 बीएलडी तहसील विजयनगर तथा सुगना देवी ने अपना 1/5 हिस्सा हेतराम पुत्र धन्ना राम जाति बावरी निवासी 10 बीएलडी तहसील विजयनगर को छोड दिया है। यदि द्वितीय पक्षकार हिस्सा प्रथम पक्ष गणपत राम व हेतराम के नाम दर्ज व डिक्री किए जाने के आदेश दिए जाते है तो द्वितीय पक्ष को उज्र व एतराज नहीं होगा। पक्षकारान के द्वारा धन्ना राम के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं वारिसनामा की छायाप्रति पेश की।

बहस सुनी गई दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने पर सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार चक 63 एफ के खाता संख्या 17/20 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज 1.160 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना-अपना 1/5 हिस्सा अर्थात 0.232- 0.232 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 2 गणपत राम पुत्र धन्ना राम तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 हेतराम पुत्र धन्ना राम को छोड दिया है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीण को कोई एतराज नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं दोनों पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर चक 63 एफ जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 17/20 के मु.न. 7,33,34,3586/34 की कुल 6.251 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में धन्नाराम पुत्र हेमा राम के नाम दर्ज 1.160 हैक्टर नहरी भूमि में वादी संख्या 1 देवा राम पुत्र धन्नाराम को 0.232 हैक्टर नहरी भूमि,

वादी संख्या 2 गणपत राम पुत्र धन्ना राम को 0.464 हैक्टर नहरी भूमि व वादी संख्या 3 हेतराम पुत्र धन्नाराम को 0.464 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में यदि कोई राजस्व देय है या कोई राजस्व हानि हे तो सम्बन्धित पक्षकार वहन करेगा। शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.12 16:31:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: